

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2112/2011 / जोधपुर

मैसर्स को—ऑपरेटिव व्यंजनशाला,
सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त बी, जोधपुर।

....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2129/2011 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त बी, जोधपुर।

बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स को—ऑपरेटिव व्यंजनशाला,
सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नथुराम, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर.आर.सिंघवी,
अभिभाषक।
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक।

....व्यवहारी की ओर से.

....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये क्रॉस अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 3/आरवेट/जेयूबी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जोधपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अवधि 2007-08 हेतु पारित आदेश दिनांक 06.03.2010 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम 2003” कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत कायम की गई मांग में से कर राशि रु 28,980/- व 89943/- रु, ब्याज रु 193/-, धारा 58 की शास्ति रु 300/- एवं धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु 2,37,846/- को विवादित करने पर अपील आंशिक स्वीकार की है तथा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रु. 2,37,846/- को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा कर, ब्याज व धारा 58 की शास्ति के बिन्दु पर तथा राजस्व की ओर से शास्ति के बिन्दु पर ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

१८/

लगातार.....2

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलीय आदेश | | कर निर्धारण आदेश | | कर | ब्याज | धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति | धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति |
|----------|-------------|-----------------------|----------|------------------|---------|-----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | | अपील संख्या | दिनांक | दिनांक | वर्ष | | | | |
| 1. | 2112/11 | 03/आरवेट/जेयूबी/10-11 | 24.05.11 | 26.03.10 | 2007-08 | 28,980 + 89,943 | 193 | 300 | - |
| 2. | 2129/12 | 03/आरवेट/जेयूबी/10-11 | 24.05.11 | 26.03.10 | 2007-08 | - | - | - | 2,37,846 |

4. उपरोक्त अपीलों में व्यवहारी का मुख्य व्यवसाय मिठाई, नमकीन, दही, लस्सी, अचार, चपाती, पकाई हुई सब्जियाँ एवं पुलाव का विनिर्माण कर विक्रय करना है। व्यवहारी द्वारा चपाती को ब्रेड (Bread) के नाम पर कर मुक्त बिक्री की गई है, साथ ही पकाई हुई सब्जियों को Processed vegetables तथा पुलाव को नमकीन मानकर 4 प्रतिशत से कर योग्य मानकर कर देय किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर उन्होंने चपाती को ब्रेड (Bread) से भिन्न एवं पुलाव को नमकीन से भिन्न मानते हुए तथा सब्जियों को Processed vegetables से भिन्न पकी हुई सब्जी Cooked Food की श्रेणी में मानकर इन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचना मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश से अपील आंशिक स्वीकार की है तथा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रु. 2,37,846/- को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा कर, ब्याज व धारा 58 की शास्ति के बिन्दु पर तथा राजस्व की ओर से शास्ति के बिन्दु पर ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि आलौच्य अवधि 2007-08 के दौरान कर के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया निर्णय अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा चपाती (Bread) का विक्रय किया है, जो कि कर मुक्त है, इसी प्रकार Processed vegetables का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर किया है, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने चपाती (Bread) को रोटी मानकर एवं Processed vegetables को पकाई हुई सब्जियों मानकर अविधिक कर निर्धारण आदेश पारित किया है। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार स.वा.क.अ. प्रथम, वृत्त प्रथम, जोधपुर का है जबकि कर निर्धारण आदेश वा.क.अ. वृत्त जोधपुर द्वारा पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से शास्ति अपास्त की है जिससे राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर आलौच्य अवधि 2007–08 के संबंध में कथन किया कि व्यवहारी द्वारा करापवंचना की दृष्टि से चपाती को ब्रेड (Bread) एवं पकाई हुई सब्जियों को Processed vegetables बताकर विक्रय किया है, इस प्रकार जानबूझकर किये गये इस कृत्य के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 58 एवं 61 के तहत आरोपित की गई शास्त्रियां विधिक है। आगे उन्होंने कथन में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

9. सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विचार किया जाता है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार स.वा.क.अ. प्रथम, वृत्त प्रथम, जोधपुर का है जबकि कर निर्धारण आदेश वा.क.अ. वृत्त जोधपुर द्वारा पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त बी, जोधपुर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.03.2010 के अनुसार धारा 61 में अभियोग बनने के कारण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.3(ए)(10)/जूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 के अनुसरण में पत्रावली के निस्तारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त बी अधिकृत होने के कारण इन्हे प्रेषित की गई है। उपरोक्त अधिसूचना प.3(एम)/जूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 के अनुसार अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत दर्ज किये गये करापवंचन अभियोग यदि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बनाये जाते हैं तो उनका निस्तारण वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार इस अधिसूचना के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विधिसम्मत है।

10. विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय विवादित बिन्दु यह है कि क्या व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत रोटी (चपाती) व "Bread" एक ही वस्तु है अथवा भिन्न है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसूची की क्रम संख्या 34 पर "Bread" कर मुक्त है तथा रोटी अवशिष्ट दर 12.5 प्रतिशत से करयोग्य है। व्यवहारी ने रोटी को कर मुक्त मानकर विक्रय किया है।

रोटी की निर्माण सामग्री आटा, पानी अल्प मात्रा में नमक है तथा "Bread" की निर्माण सामग्री मैदा, नमक, चीनी, दूध, पानी, यीस्ट आदि है जो भिन्न-भिन्न है। रोटी का निर्माण आटे की लोई बनाकर बेलकर अग्नि पर तवा रखकर या तन्दूर से सेक कर किया जाता है जबकि "Bread" का निर्माण, निर्माण सामग्री को मिलाकर पहले फरमेन्टेशन किया जाता है फिर बेकिंग (Baking) पद्धति से पका कर किया जाता है। "Bread" का प्रयोग बेकरी प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है जबकि चपाती का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कर देयता के विधिक इतिहास से भी "Bread" व चपाती पर अलग-अलग कर दरें रही है। वर्ष 1988 से 1992 की अवधि में "Bread" पर 9 प्रतिशत कर दर व वेट में करमुक्त रही है जबकि रोटी हमेशा अवर्गीकृत वस्तु के रूप में रही है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सी.टी.ओ. बनाम बाबू बेकरी (1985) 58 एसटीसी 262 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :—

"In common parlance when we call bread or its slices, we refer to the bread as 'bakery product'. The expression 'Cooked Food' has not been defined in the Act. It must be construed as understood in common parlance. It must be given popular sense meaning that sense which people conversant with the subject matter with which the statute is dealing would attribute to it. Reference may usefully be made to Ramavtar Budhiprasad V/s Assistant Sales Tax officer, Akola (1961)12 STC 286 (S.C.) If a person asks for cooked food, he will not be supplied with bread of the bakery. The assessee carried on the business of bakery as the relevant time. The expression "Manufactures any goods other than 'cooked food' has some significance. There is a process of baking involved in the manufacture of bread of a bakery and it is no doubt a form of cooking but it cannot be called "Cooked Food" which is taken regularly during meal hours".

इसी प्रकार (1993) 13 आरपीजेएस 227 में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने "Bread and Biscuit" को Cooked Food की श्रेणी में नहीं माना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रोटी व ब्रेड दो भिन्न वाणिज्यिक वस्तुएं हैं तथा रोटी पर नियमानुसार कर देय है।

11. विचाराधीन प्रकरण में तृतीय बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत शाही सब्जियाँ अधिनियम, 2003 की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 "Processed or Preserved Vegetables----" की श्रेणी में मानी जाये या नहीं।

शब्द "Vegetables" का आशय सब्जी या भाजी या तरकारी से है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम वशी अहमद (1977) 39 एसटीसी 378 में निम्न प्रकार व्यवस्था दी है :—

"It will therefore be seen that the word 'Vegetable' in the item 6 of schedule I to the Act must be construed as understood in common parlance and it must be given its popular sense meaning "that sense which people conversant with the subject matter with which the statute is dealing would attribute to it, and so construed, it denotes those classes of vegetables which are grown in a kitchen garden or in a farm and are used for the table."

सामान्य भाषा में सब्जी का आशय वही माना जायेगा जो कृषि उत्पाद है तथा जिसका प्रयोग पकाकर भोजन के साथ किया जाता है जैसे पालक, बथुआ, आलू, टमाटर आदि। ये सब्जियाँ कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें जल का अंश अधिक होता है। इन्हें अधिक समय तक प्रयोग में लिये जाने योग्य बनाये रखने हेतु जो तकनीक अपनायी जाती है उसे Processing कहा जाता है परन्तु जहाँ Processing के द्वारा किसी वस्तु में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसे निर्माण कहते हैं जो मूल स्वरूप से भिन्न होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मै. केशरवानी जर्दा भण्डार बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य वेट रिपोर्टर वोल्यूम 11 वर्ष 2009 पेज 192 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"When by losing the identity of original product, a new product emerges and is so considered in commercial parlance too, such new product is considered to be the "manufactured goods" where as in the case of processed goods, the identity of original product neither lost nor a new product emerge."

विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत शाही सब्जियाँ यथा छोला पनीर, गट्टा, काजू, केर, मलाई, पनीर आदि हैं जो विभिन्न मसाले डालकर भूनकर तैयार की जाती हैं तो मूल स्वरूप से भिन्न नई वस्तु अस्तित्व में आती है जिसे Cooked Vegetables कहा जायेगा तथा यह Processed Vegetable वे की श्रेणी में नहीं आने के कारण इन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी जायेगी।

12. विचाराधीन प्रकरण में चतुर्थ बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत पकाये हुये चावल जिसे "पुलाव" कहा जाता है को अधिनियम, 2003 की अनुसूची चार की प्रविष्टि सं 131 पर अंकित अनब्राण्डेड नमकीन की श्रेणी में माना जाये या पके हुये भोजन की श्रेणी में।

सामान्य बोलचाल की भाषा में नमकीन से आशय बेसन या दाल से निर्मित भुजिया, बड़ा, कचौरी या अन्य तेल में फ्राई की हुई नमक मिर्च लगाकर तैयार की गई वस्तु है तथा पुलाव का आशय पके हुये भोजन से है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम विक्रम कुमार गुलाबचंद शाह एआईआर 1952 (एससी) 335 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"Even in popular sense, when one asks another have you had your food? One means the composit preparation which normally goes to constitute a meal - curry and rice, sweet meats, pudding cooked vegetables and so forth."

उपरोक्त धारणा से यह स्पष्ट है कि पुलाव Cooked Food की श्रेणी में है न की अनब्राण्डेड नमकीन की श्रेणी में।

13. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने रोटी, सब्जी व पुलाव पर विधिसम्मत रूप से करारोपण किया है जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा है जो विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. जहा तक राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में शास्ति अपार्ट करने का बिन्दु है, अपीलीय न्यायालय ने श्री कृष्ण इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट ऑफ तमीलनाडू व अन्य (2010) 26 टैक्स अपडेट पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तको, ट्रेडिंग अकाउण्ट में दर्शाये जाने से व्यवहारी की जानबूझकर करापवंचन करने की मानसिकता प्रकट नहीं होने से धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत एवं न्यायोचित ढंग से अपार्ट की है जो विधिसम्मत है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी व राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

16. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नंथूराम)
सदस्य